

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,  
बिहार शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
मुजफ्फरपुर।

विषय:-

ई-टेंडरिंग पद्धति द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2017-18 के ग्रुप सं0-01 के कार्य नगर निगम मुजफ्फरपुर अन्तर्गत वार्ड नं0-14 अखाड़ाघाट मेन रोड सुधा पार्लर से काली मंदिर सिकन्दरपुर भाया शिव मंदिर राधा देवी बालिका उच्च विद्यालय होते हुए बीकानेर एण्ड जयपुर बैंक तक पथ सह नाला निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में। (ग्रुप सं0-01)  
आपका पत्रांक-143 दिनांक -11.05.2018

प्रसंग:-  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी एवं प्राप्त 05 निविदाकारों के डाउनलोडेड कागजात निविदा निष्पादन हेतु समर्पित किया गया है।  
समीक्षोपरान्त सफल/असफल निविदाकारों की सूची निम्नवत् है:-

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	सफल निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के शर्तों को पालन करने का कारण)	असफल निविदाकार (निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं के उल्लंघन के कारण)
01	नगर निगम मुजफ्फरपुर अन्तर्गत वार्ड नं0-14 अखाड़ाघाट मेन रोड सुधा पार्लर से काली मंदिर सिकन्दरपुर भाया शिव मंदिर राधा देवी बालिका उच्च विद्यालय होते हुए बीकानेर एण्ड जयपुर बैंक तक पथ सह नाला निर्माण कार्य।	1. श्री गिता प्रसाद सिंह एण्ड कम्पनी प्रा0लि0, आदर्श कालोनी, कलमवाग रोड, मुजफ्फरपुर 2. M/s टेक्नो बिहार नियर जंगली माई स्थान बालुघाट, मुजफ्फरपुर	1. श्री नलीन रंजन S.B.D. की कंडिका 4.5(A)(c), 4.3(i) एवं 4.5(B)(b), 4.5(B)(a) का अनुपालन नहीं करने के कारण। 2. श्री त्रिपुरारी प्रसाद सिंह नारायण भवन भिखनपुर, मुजफ्फरपुर similar nature of work का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने के कारण S.B.D. के प्रथम प्रकरण में अमान्य 3. विद्यार्थी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 नन्द विहार कालोनी मुजफ्फरपुर S.B.D. के आलोक में Existing commitment का कागजात Upload नहीं रहने के कारण एवं S.B.D. की कंडिका 4.5(B)(a) का अनुपालन नहीं करने के कारण।

उपरोक्त 05 निविदाकारों में से 02 निविदाकार तकनीकी बिड में सफल हैं। तदनुसार पत्र निर्गत की तिथि से सात दिनों के बाद तकनीकी बिड में सफल निविदाकारों को वित्तीय बिड खोला जाय। यह स्पष्ट किया जाता है कि तकनीकी बिड में असफल निविदाकार का वित्तीय बिड नहीं खोलना है।

सफल/असफल निविदाकारों को यदि किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वे इस कार्यालय में पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तदोपरान्त उनकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यपालक अभियंता अपने स्तर से निविदाकारों को सूचित कर दें।

विश्वासभाजन,

मुख्य अभियंता,  
बिहार शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।